101
13/2/07

कार्यालय जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर
अनुभाग ....
कलेक्टर ....
अ.कलेक्टर ....
कार्या. अधीक्षक ....
दिनांक..........
प्राप्तांक..........

राजस्थान सरकार
नागरिक उड्डयन विभाग

क्रमांक : प.9(1)..../ना.उ/2002 जयपुर, दिनांक : 05-02-07

परिपत्र

राज्य के विभिन्न जिलों मे राज्य सरकार की हवाई पट्टियॉ है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. बॉसवाडा
2. डूँगरपुर
3. आबूरोड
4. सिरोही
5. सोजत
6. झालावाड
7. भीलवाडा
8. नागौर
9. झुंझनूॅ
10. लालगढ
11. फलौदी
12. सवाई माधोपुर
13. किशनगढ
14. जालौर
15. थानागाजी
16. सीकर
17. दौसा।

राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित राजकीय हवाई पट्टियों/राजकीय हैलीपैड का निजी वायु सेवा कम्पनियों के उपयोग करने के संबध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढावा देने के उद्‌देश्य से पूर्व निर्धारित लैण्डिंग शुल्क की **राशि को समाप्त कर दिया गया है। अतः अब किसी निजी वायु सेवा कम्पनी से लैण्डिंग शुल्क की राशि वसूली नहीं की जावे।**

2. संबधित जिला कलेक्टरों द्वारा निजी वायु सेवा कम्पनियों को लैण्डिंग की तिथि से सामान्यतया एक सप्ताह पूर्व संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परन्तु पर्यटन को बढावा देने की दृष्टि से जिला कलेक्टरों से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि निजी वायुसेवा कम्पनियों द्वारा लेण्डिंग की तिथि से एक सप्ताह से कम समय में भी आवेदन प्रस्तुत किये जाते है तो भी उनका परीक्षण करके शीघ्र निस्तारित करने की कार्यवाही करें।

3. निजी वायु सेवा कम्पनी के आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर कार्यालय में निम्न बिन्दुओ पर परीक्षण किया जाना चाहिए :-
   (i) हवाई पट्टी पर एक से अधिक विमान आने की स्थिति में उनके पार्किंग की यथोचित व्यवस्था की जावे।

   (ii) यदि किसी बिन्दू पर परामर्श की आवश्यकता हो तो प्रमुख शासन सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग/चीफ पायलट ऑफीसर, राजकीय वायुयान विभाग से परामर्श लिया जा सकता है।

4. **इस क्रम में वास्तविक खर्चे यथा पुलिस सुरक्षा, एम्बुलेन्स, फायर बिग्रेड इत्यादि सुविधाओं के खर्चे की राशि ही वसूल की जानी चाहिए।**

7)

5. निजी वायु सेवा कम्पनी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर वायुयान/हैलीकाप्टर की लैण्डिंग करेगें। यदि वायुयान/हैलीकाप्टर के उतरने व चढने/पार्किंग के समय दुर्भाग्यवश दुर्घटना घटित होती है तो राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
6. निजी वायु सेवा कम्पनियो को महानिदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, नई दिल्ली के वायुयान उड़ान सम्बन्धित निर्देशो कि आवश्यक रूप से पालना करनी होगी।
7. संबंधित जिला कलेक्टर निजी वायुयानों/हैलीकाप्टरों द्वारा हवाई पट्टी पर माह में कितनी बार लैडिंग/टेकऑफ किया गया है। उसकी त्रैमासिक सूचना संलग्न प्रारूप में इस विभाग को भिजवायेंगे।

अतः सभी जिला कलक्टरो से अपेक्षा की जाती है कि उक्त प्रक्रिया की जानकारी से निजी वायु सेवा कम्पनियों को अवगत करावें एवं इसकी पालना सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करावें।

यह परिपत्र उपरोक्त विषय में पूर्व मे जारी सभी परिपत्रों के अतिक्रमण में जारी किया जाता है तथा तुरन्त प्रभावी होगा।

Sd/-
(मीरा महर्षि)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महोदया, राजस्थान।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. संबंधित जिला कलक्टर, । सवाईमाधोपुर
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर। कृपया इसका दिल्ली से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के समाचार–पत्रों (अंग्रेजी) में विशेष रूप से व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने की व्यवस्था करावें।
6. चीफ पायलट आफीसर, राजकीय वायुयान विभाग, सांगानेर एयरपोर्ट,जयपुर
7. चीफ पायलट आफीसर, राजकीय हैलीकाप्टर विभाग, एयरपोर्ट, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।
9. वरिष्ठ निजी सहायक, उप शासन सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

(के.के.सिंघल)
उप शासन सचिव